

तारीख  
हुक्म

10/11/20

न्यायपालिका परा इह अतिनायक उमय पत्र लपारवत हे। आज श्री-  
उपसभ्य आधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दोर में तशरीफ रखते हे  
अन्य कार्य में व्यस्त हे। अभिभाषकपण कन्डोलन्स पर हे। अत  
राजकी मन्त्रिक तारंगणी हेतु दिनांक 16/11/20 को पेश हो  
थ

रजिस्टर  
दक:- बजरंगलाल  
वरुद्ध  
आनावेदक:- अशोक कुमार वर्मा  
वाद भूमि:- जिला बूटी  
आने

वाद में  
परकार  
पत्रकार  
2  
पेश  
मान

16/12/25 पकीलवाही उप-1 जवाब साकार फामिल होना अंडित  
करने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य में निमत की गयी  
पकील वकी ने साक्ष्यवाही पेश की पत्रावली  
वास्ते पेशा करने शेष साक्ष्यवाही दि. 22/1/26 को  
पेश हो

बजरंगलाल

22/1/26 पत्रावली पेशा हेतु ओडिशिया ऑनलाइन लिखी गयी पत्रावली  
वास्ते बलम निमत की गयी आ.पेशी 05/2/26

बजरंगलाल  
अमर साक्ष्य  
पेशा की  
रखी जाय  
थ

5/2/26 पकीलवाही उप-1 बलम उमय पत्रा सूनी गयी पत्रावली  
वास्ते ओडिशिया दि. 12/2/26 को पेश हो

थ

12/2/26 वकील पत्रावली वास्ते ओडिशिया पेशा हेतु विवादवाही वाद  
वर्षित अभिकथनो को साक्ष्य दस्तावेजी आधार पर प्रमाणित  
करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खोजा कि  
जाता है विस्तृत निर्णय सुधरु से लिखा जाकर शा. भि. 0  
दिया गया पत्रावली फामिल सुमार होकर नम्बर से  
कम हो। बाद तारीख लकील निमतानुसार दाखिल  
दातर हो

थ



दीगण के भी उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा वादी के पक्ष गया बेचान पत्र किसी भी न्यायालय के द्वारा अवैध एवं शून्य घोषित अथवा निरस्त नहीं किया आज भी बयानामा वैध एवं प्रभावकारी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 581/395 रकबा 2 बीघा पर विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2007 के धार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध खातेदारी अधिकार घोषणा की डिकी प्राप्त करे तथा राजरव रिकार्ड में नाम अमल दरामद करे साथ ही में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन बेचान नहीं करे, उपयोग-उपभोग में व्यवधान पैदा नहीं करे और वादी को वाद वर्णित भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे। वाद प्रस्तुति का वाद कारण आज से 15 दिवस पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर वाद वर्णित कृषि भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक व अधिकार मानने से इनकार कर दिया वादी को वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन बेचान कर वादी को जबरन बेदखल करने से इनकार कर दिया जाकर वादीगण के पक्ष में निम्न आशय का श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में निम्न आशय का निर्णय व डिकी जारी की जावे कि वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा स. 581/395 रकबा 0.5342 हैक्टेयर जो वाके ग्राम तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है में से 2 बीघा भूमि पर विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2007 के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी के पक्ष मे खातेदारी अधिकार घोषणा की डिकी जारी करे तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि राजरव रेकार्ड में वादी का नाम खातेदार के स्थान पर अमल दरामद करे साथ ही में प्रतिवादीगण को इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान नहीं करे, वादी उपयोग-उपभोग में व्यवधान पैदा नहीं करे और वादी को वाद वर्णित भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे, उप पंजीयक तालेड़ा वाद वर्णित कृषि भूमि के किसी भी हस्तांतरण विलेख का पंजीयन नहीं करे तथा तहसीलदार तालेड़ा वर्णित कृषि भूमि के किसी भी हस्तांतरण विलेख के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं करे उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ने नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी की ओर से स्वयं ने साक्ष्य में शपथपत्र पेश कर विक्रय पत्र प्रदर्श-1 एवं नकल जमाबन्दी प्रदर्श-2 पेश किये।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

दोराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा स. 581/395 रकबा 0.5342 हैक्टेयर जो वाके ग्राम तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है में से 2 बीघा भूमि पर विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2007 के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी के पक्ष मे खातेदारी अधिकार घोषणा की डिकी जारी करे तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि राजरव रेकार्ड में वादी का नाम खातेदार के स्थान पर अमल दरामद करे साथ ही में प्रतिवादीगण को इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान नहीं करे, वादी उपयोग-उपभोग मे व्यवधान पैदा नहीं करे और वादी को वाद वर्णित भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे, उप पंजीयक तालेड़ा वाद वर्णित कृषि भूमि के किसी भी हस्तांतरण विलेख का पंजीयन नहीं करे।

परोकार सरकार ने दोराने बहस निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी में से वादी द्वारा दो बीघा भूमि 02.07.2007 को जर्ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्य की गई थी। जिसका नामान्तरण विक्रय पत्र खो जाने से तत्समय नामान्तरण दर्ज नहीं कराया जा सका, जो विश्वसनीय कथन प्रतीत नहीं होता है, यदि महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गया था तो तत्समय ही वादी को विक्रय पत्र की सत्यप्रति उपपंजीयक कार्यालय से प्राप्त करनी चाहिए थी एवं दस्तावेज खो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवानी चाहिए थी। किन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया ना ही उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने की कार्यवाही तहसील स्तर पर नहीं कर सीधे न्यायालय में पेश की है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है।

44

स उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस पर पहुंचे हैं कि वादी द्वारा वाद वर्णित आराजी जर्ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2007 क्य गई है जिसका राजस्व अभिलेखों में इन्दाज तहसील स्तर पर नामान्तरण की प्रक्रिया पूर्णकर करवाया जा सकता था, किन्तु वादी द्वारा उक्त प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सीधे ही न्यायालय में वाद दायर कर अधिकार घोषणा के तहत अनुतोष चाहा गया है। ना ही विक्रय पत्र के खो जाने के कारण को दस्तावेजी साक्ष्य से वादी प्रमाणित कर सका है केवल मात्र वादी के अभिकथन को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः वाद वादी वाद वर्णित अभिकथनों को साक्ष्य दस्तावेजी आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

*Mx*  
(मनस्वी नरेश)  
उपस्रण्ड अधिकारी  
तालेडा